

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
दूरभाष 0141-2601727 ई-मेल adddir.dme.rj@gov.in

क्रमांक: प.7 (54)(393)-एस.आर.आवंटन/एके./डीएमई/2023/3950 दिनांक: 01/9/2023

डॉ. संदीप टण्डन,
चैयरमेन,
एस.आर. आवंटन काउन्सिलिंग बोर्ड एवं
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (पिडोडोन्टिक्स)
आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस
जयपुर।

विषय:- पी0जी0 बैच 2020 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवंटन के सम्बन्ध में।
प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक बैठक कार्यवाही विवरण के क्रमांक 3806
दिनांक 22.08.2023 में बिन्दु संख्या 01 के 'ब' के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 01 के 'ब' बिन्दु पर वर्णितानुसार जिसमें 10 प्रतिशत सीटों का आवंटन मैरिट के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि:-

- वर्ष 2022 में सीनियर रेजिडेंट को राजसेस के कॉलेजों में प्राथमिकता देते हुए आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये वर्ष 2023 में आवंटन किये जाने हेतु राजसेस के कॉलेजों में प्राथमिकता के साथ आवंटन नहीं किया जाकर मैरिट कम च्वाइस के आधार पर ही आवंटन किया जावे।
- 10 प्रतिशत सीटों पर पी.जी. में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में एम.बी.बी.एस. में उत्तीर्ण प्राप्तकों का प्रतिशत के अनुसार किया जावे एवं यदि किसी अभ्यर्थी के एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में अतिरिक्त एटेम्ट रहते हैं तो प्रत्येक एटेम्ट के 02 अंक कम किये जायेंगे।

“(उदाहरण के तौर पर किसी अभ्यर्थी के एमबीबीएस में 60 प्रतिशत है और उसके एमबीबीएस में 02 अतिरिक्त एटेम्ट हैं एवं पी.जी. में 01 अतिरिक्त एटेम्ट है तो उस अभ्यर्थी के $60 - (4 + 2) = 54$ प्रतिशत)”

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत जारी किये जा रहे है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

अति. निदेशक (प्रशा0) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
Signature valid

Digitally signed by Pooja Khandelwal
Designation: Additional Director
Date: 2023.09.01 18:45 IST
Reason: Approved